संख्या-41/2017/300/92-2-17-104(जांच)/2016

प्रेषक,

बाबूराम,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य प्राविधिक परीक्षक,
तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक:: 09 मार्च, 2017

विषय:- श्री फखरूल हसन, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड कौशाम्बी द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो की टी0ए0सी0 से जॉच कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-47/2016/42मं0आ0/92-2-16-104(जांच)/2016 दिनांक 24.08.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार सोनकर, ब्लाक प्रमुख सिराथू, जनपद-कौशाम्बी के पत्र दिनांक 18.07.2016 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए श्री फखरूल हसन, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-कौशाम्बी द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की वर्ष 2014-15 व 2015-16 तक की टी0ए0सी0 जाँच कराये जाने के निर्देश दिये गये।

2- इस संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शिकायतकर्ता श्री जितेन्द्र कुमार सोनकर द्वारा फर्जी लेटर पैड तथा नकली हस्ताक्षर होने का शपथ-पत्र दिया गया है, अत: शिकायतकर्ता द्वारा दिए गये शपथ-पत्र के आधार पर श्री फखरूल हसन, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड कौशाम्बी के विरूद्ध शासनादेश दिनांक 24.08.2016 द्वारा संस्थित टी0ए0सी0 जांच को निरस्त किया जाता है।

भवदीय,

बाबूराम
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in